न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 7/2013 (उदयपुर डिक्री)

मनोहरलाल पिता सरदारमल जी तलेसरा, निवासी नाई, हाल विनायक नगर, पानेरियों की मादड़ी, उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)
2. नगर विकास प्रन्यास जरिये सचिव नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)
3. भंवरलाल पिता उदयलाल जी दोषी (महाजन), निवासी स्वामी नगर, मेन रोड़, पानेरियों की मादड़ी, उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती गंगा बाई पत्नी श्री रूपलाल साहू, निवासी सेमारी, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
5. रूपलाल पिता श्री कमलजीत साहू, निवासी सेमारी, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती ललिता देवी पत्नी श्री सुरेश एम. लुहार, निवासी श्री सदन, संतोष नगर, टेकरी, उदयपुर (राज.)
7. दिनेश चन्द्र पिता श्री महेश चन्द्र अग्रवाल, निवासी रावजी का हाटा, श्रीमती उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती कैलाश बाई पत्नी श्री हिम्मतसिंह सिसोदिया, निवासी चारभुजा, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 31.10.2012 प्र. सं. 47/05

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री हीरालाल कटारिया अभिभाशक अपीलान्ट
2. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक
3. श्री नरपतसिंह चुण्डावत अभिभाशक न.वि.प्र.

4. श्री रोशनलाल जैन अभिभाषक रेस्पो. सं. 3

———:::———

निर्णय दिनांक

25—09—2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 188 व 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम मादड़ी में आराजी नंबर 616 रकबा 0.1900 हैक्टर भूमि स्थित है, जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 8 के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज होकर वादी व प्रतिवादी संख्या 8 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 से 7 का 3/4 हिस्सा दर्ज है। वादी का राजस्व रेकार्ड में 382/1900 वां हिस्सा दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 8 का 93/1900 हिस्सा दर्ज है, जो स्वयं वादी ने प्रतिवादी संख्या 8 को विकय किया था, पुनः उसे जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 19—01—2005 से कय कर लिया है। इस प्रकार कुलिया 1/4 हिस्सा वादी का है। वादी अपने कृषि भूखण्ड पर दिनांक 29—10—1993 से काबिज होकर उपयोग—उपभोग करता चला आ रहा है, जब से उसने उसे रजिस्टर्ड विकय पत्र से कय किया था तथा इस भूमि का काफी लागत लगाकर निर्माण कराया है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 19—04—2004 को अधिसूचना जारी की गयी, जिसमें आराजी नंबर 616 रकबा 0.1900 हक्टर में से केवल 0.1750 हैक्टर भूमि ही अधिग्रहित की गयी तथा 0.150 हैक्टर भूमि शेष छोड़ दी गयी। उक्त अधिसूचना के तहत सड़क निर्माण हेतु अभी एक सप्ताह पूर्व अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का मौके पर डिमार्केशन कराया गया, जिसमें वादी की अधिग्रहण से मुक्त 0. 150 हैक्टर भूमि को भी सड़क में सम्मिलित किया जा रहा है तथा वादी द्वारा मना करने पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अतः निवेदन कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की निषेधाज्ञा जारी की जावे कि संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शायी गयी भमि जो आराजी नंबर 616 रकबा 0.1900 हैक्टर

भूमि का 0.150 हैक्टर का स्ट्रिप है, जिसकी लम्बाई 131 फिट व चौड़ाई 18 फिट है, में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें।

प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया गया तथा विशेष कथन में अंकित किया कि आराजी नंबर 616 में 100 फिट रोड़ निकाला जाना प्रस्तावित है तथा रोड़ एलाईमेन्ट का जो नक्शा प्रस्तुत किया गया है एवं मौके पर जो डिमार्केशन किया गया है उसक अनुसार वादी का सम्पूर्ण हिस्सा रोड़ में जा रहा है तथा वादी के स्वामित्व का कोई हिस्सा शेष नहीं रहता। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 राज्य सरकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से नगर विकास प्रन्यास के अधिवक्ता श्री नरपतसिंह चुण्डावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से वकील श्री रोशनलाल जैन उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियों का सही विवेचन नहीं किया गया है, जबकि अपीलान्ट/वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे यह साबित होता हो कि अधिग्रहण से मुक्त वादी की 0.150 हैक्टर भूमि की 90–बी की कार्यवाही हुई हो। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र कयासों के आधार पर निर्णय पारित किया गया है, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नंबर 1 से 3 जिसे साबित कराने का भार वादी पर था, उक्त तनकियों का उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार विवेचन करते हुए यह माना है कि विवादित भूमि का विधिवत बंटवाड़ा नहीं हुआ है तथा वादी यह साबित करने में असफल रहा है कि उसी के हिस्से में आयी भूमि पर नगर विकास प्रन्यास द्वारा सड़क निकाली जा रही है। उक्त आधार पर उक्त तनकियों का विवेचन वादी के विरूद्ध किया है। इसी प्रकार तनकी नंबर 4 जिसे साबिक कराने का भार प्रतिवादी पर था, उसमें यह माना है कि वादग्रस्त भूमि की दिनांक 16–12–2003 को 90 बी हो चुकी है तथा वादी द्वारा बिना स्वीकृति के मकान व दुकान बना लिये जाने से वादी का वाद इस न्यायालय में पोशणीय नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने विवेचन में मौखिक एवं दस्तावेजी दोनों साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन करते हुए वादी/अपीलान्ट का वाद खारिज किया है, जिसमें हम प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 31–10–2012 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 25–09–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

# डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

**(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)**

अज अदालत............भू०प्र०अ० एवं पदेन रा०अ०अ०.........मुकाम...............
उदयपुर.............
व इजलास ................................ प्रियंका जोधावत, आर०ए०एस० ............................
.................

मनोहरलाल पिता सरदारमल जी तलेसरा, बनाम राजस्थान राज्य जरिये जिला
नि0 नाई, हाल विनायक नगर, पानेरियों उदयपुर व अन्य
की मादड़ी उदयपुर

अपील नं०.......7/2013.....व नाराजगी डिगरी अदालत ...........उपखण्ड अधिकारी.....
...........गिर्वा.......... मुकाम................मुवर्खे.............31...............माह..............10......
......2012

## दावा बाबत

यह अपील व तारीख........25....माह........09.......सन् 2019 रूबरू........ पक्षकारान
व हाजरी...हीरालाल कटारिया...मिनजानिब अपीलान्ट व.....नरपतसिंह चुण्डावत/पंकज भटनागर

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.......... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी दिनांक 31–10–2012 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये
.... X......
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... X .....................................
अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........25......माह.......09...
........2019
को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

## खर्चा अपील

| अपीलान्ट | रू0 | पै0 | रेस्पोन्डेन्ट | रू0 | पै0 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. स्टाम्प अपील ... .....<br>.<br>2. स्टाम्प वकालत नामा<br>..... | | | 1. स्टाम्प वकालत नामा...<br>2. स्टाम्प अर्जी .....<br>..... | | |
| 3. इजराय हुक्मनामा ..<br>.....<br>4. वकील फीस बाबत ....<br>.....<br>मीजान<br>..... | | | 3. इजराय हुक्मनामा .<br>....<br>4. मेहनताना वकील.....<br>.....<br>मीजान .<br>.... | | |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।